न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **07/22 (प्रा0पत्र)**

GCMS No. : 2022/100

अनवान्

1. श्री नरेन्द्र कुमार पिता नाथुलाल खोखावत निवासी जैन बस्ती डबोक तह. मावली।
2. श्रीमती मन्जु देवी पुत्री नाथुलाल पत्नी मनोहरलाल पामेचा निवासी सदर बाजाद देलवाडा जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती ललिता पुत्री नाथुलाल पत्नी सागरमल जैन निवासी होली मगरा तह. नाथद्वारा।
4. श्रीमती हेलमता पुत्री नाथुलाल पत्नी कैलाशचन्द्र बिसलोत निवासी प्रताप बस्ती सनवाड तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विक्रम सिंह पिता उदयसिंह देवडा निवासी गोपालपुरा डबोक तह. मावली।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री अजय सिंह हाडा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री जितेन्द्र कुमार लक्षकार, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक :– 16.09.2022

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी के स्वत्वहित, आधिपत्य की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 1619, 1620 किता 2 रकबा 0.1376 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का पृथक पृथक रूप से 1/5, 1/5 एवं संयुक्त रूप से 4/5 वां हिस्सा निहित होकर के प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपनी सुविधा एवं सहुलियत अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थीगण 4/5 वां हिस्से को छोडकर शेष 1/5 हिस्सा प्रार्थीगण के भाई श्री हिम्मत जी खोखावत का निहित रहा हैं जिनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवाडा करवाये बगैर अवैधानिक ढंग से भूमि का अन्यत्र विक्रय कर दिया गया किन्तु क्रेता द्वारा मौके पर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई भौतिक आधिपत्य प्राप्त नहीं किया गया इसी क्रम में तत्कालीन क्रेता द्वारा वादग्रस्त भूमि का 1/5 हिस्सा विपक्षी को बिना किसी हक अधिकार के एवं बिना किसी भौतिक आधिपत्य के तमाईशी तौर पर विक्रय कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि पर बिना विधिवत् बंटवाडा करवाये विपक्षी अथवा उसके नौकर चाकर एजेन्ट को प्रवेश करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हैं विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की सहमति के बगैर बिना भौतिक आधिपत्य के भूमि क्रय की है तथा अब अपने धन बल के आधार पर प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवारजन को प्रताडित करके मनमाफिक ढंग से मौके पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है तथा मुख्य रास्ते से लगती हुई भूम पर जबरन कब्जा करने के लिए आमादा है जिसका कि विपक्षी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हैं विपक्षी को स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हैं।

3. यह कि हाल ही में दिनांक 09.01.2022 को विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की उपरोक्त पैतृक भूमि पर आकर जे.सी.बी. के साथ अपने अन्य व्यक्ति को लेकर आया एवं खेत में घुसकर जे.सी.बी से जमीन को तहस नहस करने लगा एवं मनमाफिक ढंग से मिट्टी खोदकर इधर से उधर डलवाने लगा जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी एवं प्रार्थी की पुत्री दोनों मिलकर मौके पर पहुंचे तथा विपक्षी को बताया कि यह जमीन हमारी है इस पर तुम्हे मनमाफिक ढंग से कब्जा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिस पर विपक्षी एवं उसका भाई दोनों मिलकर प्रार्थी एवं प्रार्थी की पुत्री से लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा धारदार सरीये से लेकर प्रार्थी सं. 1 एवं उसकी पुत्री सुश्री भावना के उपर वार करने लगा एवं भावना को धक्का देकर नीचे गिरा दिया उसके साथ अश्लिलता की एवं जबरन जमीन पर कब्जा करने का दबाव बनाने लगे जिस पर वहां से प्रार्थी एवं उसकी पुत्री ने भागकर अपनी जान बचाई एवं पुलिस थाना डबोक में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 14/22 दर्ज करवाई गई।

4. यह कि विपक्षी भूमाफिया होकर के जबरन प्रार्थीगण की भूमि को हथियाना चाहता है तथा प्रार्थीगण की जमीन पर जबरन कब्जा कर बिना किसी हक अधिकार के बिना अनुमति के बिना भू–रूपान्तरण करवाये निर्माण करना चाहता है जिसका कोई अधिकार विपक्षी को नहीं है ना ही विपक्षी को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वह बिना विधिक बंटवाडे के प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश ही करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी को पांबद किया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश पारित फरमाया जावे कि विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करे, कोई निर्माण नहीं करे, प्रार्थीगण की पैतृक भूमि में प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास नहीं करे, पक्का निर्माण नहीं करे, प्रार्थीगण के उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादग्रस्त आराजीयात की सीमाओं के निशानात पाली, डोली, कोट इत्यादि को नष्ट करने का प्रयास नहीं करे, प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य विपक्षीगण न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करवावें।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से इनको वाद में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं हैं। प्रार्थीगण अपनी सुविधा एवं सहुलियत अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं मिथ्या एवं मनगढत तथ्य होने से अस्वीकार हैं प्रार्थीगण स्वयं साक्ष्य से सिद्व करावें। प्रार्थीगण के भाई हिम्मतकुमार पुत्र नाथुलाल जी महाजन ने आराजी सं. 1619 रकबा 0.02 बिस्वा, आराजी सं. 1620 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 बिस्वा में से अपना 1/5 हिस्सा दिनांक 11.11.2019 को ईश्वरसिंह पिता नाहरसिंह जी राव, निवासी मेडता तह. मावली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर विक्रीत भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया और जिसके पश्चात् उपरोक्त आराजी में ईश्वरसिंह राव से 1/5 हिस्सा विपक्षी सं. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2021 को क्रय कर ईश्वरसिंह से विक्रित कृषि भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया तभी से विपक्षी सं. 1 खरीदसुदा हिस्सा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं।

6. यह कि विपक्षी सं. 1 ने उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा कृषि भूमि ईश्वरसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2021 को खरीदी और मौके पर ईश्वरसिंह एवं हिम्मतकुमार ने विक्रित कृषि भूमि का भौतिक कब्जा सुपुर्द किया और हिम्मतकुमार ने कब्जे के बाबत् एक ईकरारनामा स्टाम्प किमती 500/– अक्षरे पांच सौ रूपया पर भी निष्पादित कर रखा है जिसके अनुसार हिम्मतकुमार एवं उसके भाई नरेन्द्रकुमार के बीच सम्पत्तियों को लेकर पारिवारिक समझौता होना बताकर मौके पर अपना कब्जा बताते हुए भौतिक कब्जा सुपुर्द किया जिस पर वर्तमान में विपक्षी सं. 1 काबिज होकर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है, जिस पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं हैं। इसलिए विपक्षी सं. 1 के विरूद्व किसी भी प्रकार की स्थायी/अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

7. यह कि दिनांक 09.01.2022 को विपक्षी मौके पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की जमीन पर जे.सी.बी. से साफ सफाई करवा रहा था तभी मौके पर प्रार्थी सं. 1 व उसकी पुत्री भावना एवं इसके साथ जयपालसिंह मौके पर आए और विपक्षी के साथ गाली गलोच कर मारपीट की और कहने लगे कि मौ[illegible] से [illegible] जा नहीं तो तुझे झुठे मुकदमें में फसा देगे जबकि विपक्षी सं. 1 शांतिप्रिय व्यक्ति [illegible]कर कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

है इसलिए मौके विपक्षी सं. 1 ने कहा की मैने ये जमीन ईश्वरसिंह से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है अब इतने दिन बाद मेरे से लडाई झगडा क्यों कर रहे तो बोले कि यहां से हमारी जमीन पर जाने का रास्ता है तुझे हम यहां पर कब्जा नहीं करने देंगे मौके कहा कि मेरा कब्जा दिनांक 10.03.2021 से है मौके पर विपक्षी ने करीब एक वर्ष पूर्व पत्थर भी खाली करवा रखे है तो प्रार्थीगण आग बबुला हो गये और कहा की मुझे ऐसे मामले में फसायेंगे कि तु भी याद करेगा और डबोक थाने में जाकर विपक्षी सं. 1 के विरूद्व एक झूठी रिपोर्ट एफ.आई.आर. सं. 14/21 दर्ज करवाई जिस पर विपक्षी सं. 1 ने भी मारपीट व आपराधिक अतिचार की रिपोर्ट डबोक थाने में दर्ज करवाई जो एफ.आई. आर सं. 15/21 है जो जैर कार्यवाही हैं।

8. यह कि प्रार्थना पत्र के भाग ब में वर्णित दाद भी प्रार्थीगण को नही दी जा सकती क्योंकि विपक्षी अपने 1/5 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में है विपक्षी ने कभी भी प्रार्थीगण के कब्जे में दखलन्दाजी नहीं की है जबकि वास्तविकता यह कि प्रार्थीगण की नियत में खोट आ जाने से वो विपक्षी को उसके हिस्से कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए माननीय न्यायालय में मिथ्या एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि प्रार्थीगण को वास्तविकता है ज्ञान है कि विपक्षी काबिज होकर उसके हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।
9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला—</u>* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण एवं विपक्षी दोनो ही खातेदार एवं खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग—उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार हैं ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध टी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 16:27:21 IST
Reason: SelfAttested

आई नही दी जा सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन* – चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थीगण एवं विपक्षी है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार प्रार्थीगण एवं विपक्षी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी के नाम पर दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडे का वाद पेश कर उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। विपक्षी खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग का पुरा अधिकार है। प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:27:21 IST
Reason: SelfAttested